वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इस तरह दिए जवाब

निर्मित कालोनियों / व्यावसायिक परिसरों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव से सम्बन्धी 21 शिकायत, रेरा से अनुमति प्राप्त नहीं करने सम्बन्धी 02 शिकायत, भू-सम्पदा की रकम वापसी से सम्बन्धी 15 शिकायत, भू-सम्पदा का अधिपत्य दिलाने सबंधी 11 शिकायत एवं क्षतिपूर्ति दिलाये जाने सम्बन्धी 01 शिकायत कुल 50 शिकायत प्राप्त हुई है जिनमे से 28 शिकायतों में आदेश पारित किया गया है, शेष 22 शिकायत प्रक्रियाधीन है।

नियमों की ऐसे उड़ाई धज्जियां, निगम के अफसरों की मिलीभगत

बेलतरा के विधायक सुशांत शुक्ला ने फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए कहा, एक ही बिल्डर और एक ही व्यक्ति द्वारा अलग-अलग संस्थान के जरिए नगर निगम और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अफसरों के साथ मिलीभगत कर टाउनशिप एक्ट का उल्लंघन किया गया है। 100 एकड़ के आसपास निर्माण कार्य किया गया है। बिना अनुमति और नियमों के विपरीत टुकड़ों में ले आउट पास करा लिया है। सेवाभूमि को ईडब्ल्यूएस के तहत पास करा लिया है। कोटवार को दी गई सेवाभूमि को राजस्व अधिकारियों और नगर निगम के अफसरों से मिलीभगत कर इसे ईडब्ल्यूएस के नाम पर पास करा लिया है। विधायक ने मंत्री से पूछा, ऐसे फर्जीवाड़ा करने वाले बिल्डर की जमीन की खरीदी- बिक्री पर रोक लगाएंगे क्या। फर्जीवाड़ा में शामिल बिल्डर से लेकर अफसरों पर कार्रवाई की मांग भी की। वित्त मंत्री ओपी चौधरी